भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3273
उत्तर देने की तारीख : 09 दिसम्बर, 2019

कलाकारों को छात्रवृत्ति

3273. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारंपरिक कला विधाओं (आर्ट फॉर्म्स) के क्षेत्र में कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए वर्तमान में कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कोई मापदंड तय किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) पश्चिम बंगाल सहित राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही छात्रवृत्ति की राशि का कला-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)
संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) : जी, हां। सरकार पारंपरिक कला रूपों सहित विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु 'विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियां (एसवाईए)' स्कीम घटक कार्यान्वित कर रही है।

(ख) : जी, हां। उपरोक्त स्कीम घटक के तहत, चयनित विद्वानों को 2 वर्ष की अवधि के लिए चार बराबर छमाही किस्तों में प्रति माह 5,000/- रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। चयनित विद्वान 18 वर्ष से 25 वर्ष के आयु समूह में होने चाहिए और उन्होंने किसी गुरु या संस्थान के अधीन कम से कम 5 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। विद्वानों का चयन मंत्रालय द्वारा गठित छात्रवृत्ति हेतु विशेषज्ञ समिति के समक्ष निजी साक्षात्कार/परस्पर संवाद में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

(ग) : वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सहित छात्रवृत्ति स्कीम घटक के तहत किए गए चयन के कला-वार और राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।

अनुलग्नक-I

दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3273 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला-वार ब्यौरे

		चयनों की संख्या		
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1.	भारतीय शास्त्रीय संगीत	55	90	81
2.	भारतीय शास्त्रीय नृत्य/ नृत्य संगीत	95	80	80
3.	रंगमंच	47	38	59
4.	दृश्य कलाएं	71	54	78
5.	सुगम शास्त्रीय संगीत	10	22	14
6.	लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाएं	34	31	72
	कुल =	**312**	**315**	**384**

अनुलग्नक-II

दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3273 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों (एसवाईए*) में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	**राज्य**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1.	अंडमान और निकोबार	--	--	--
2.	आंध्र प्रदेश	07	02	06
3.	अरुणाचल प्रदेश	--	02	04
4.	असम	14	12	19
5.	बिहार	11	10	14
6.	चंडीगढ़	01	--	01
7.	छत्तीसगढ़	08	08	14
8.	दिल्ली	16	14	21
9.	गोवा	01	01	01
10.	गुजरात	04	09	08
11.	हरियाणा	06	07	06
12.	हिमाचल प्रदेश	01	01	01
13.	जम्मू और कश्मीर	02	02	06
14.	झारखंड	07	01	05
15.	कर्नाटक	26	25	24
16.	केरल	18	20	23
17.	मध्य प्रदेश	37	28	35
18.	महाराष्ट्र	33	26	42
19.	मणिपुर	03	09	09
20.	मेघालय	--	--	--
21.	मिजोरम	01	--	--
22.	नागालैंड	--	--	--
23.	ओडिशा	20	22	22
24.	पुदुचेरी	02	--	--
25.	पंजाब	02	06	04
26.	राजस्थान	03	04	08

27.	सिक्किम	--	--	01
28.	तमिलनाडु	03	10	08
29.	तेलंगाना	01	05	02
30.	त्रिपुरा	--	01	01
31.	उत्तर प्रदेश	38	43	38
32.	उत्तराखंड	01	07	01
33.	पश्चिम बंगाल	46	40	60
कुल प्राप्तकर्ता		**312**	**315**	**384**

* इस स्कीम के तहत, भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत के भीतर उन्नत प्रशिक्षण के लिए 18-25 वर्ष के आयु समूह में आने वाले उभरते हुए उत्कृष्ट चयनित युवा कलाकारों को दो वर्ष के लिए प्रति माह 5,000/- रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।